**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या- *40**

**दिनांक 19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न**

विषयः मछली उत्पादन

†***40.** श्री विजय कुमारः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मछली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्या सरकार पहला स्थान प्राप्त करने के लिए अनेक नीतिगत पहल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या निर्णय लिया गया;

(ग) सरकार ने इस बजट में नीली क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की है;

(घ) इस संबंध में तैयार की गई योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मत्स्यपालन के लिए लघु और मध्यम किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-सी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हो?

**उत्तर**

मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्री

**(श्री गिरिराज सिंह)**

(क)से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

*****

**19 नवम्बर, 2019 मछली उत्पादन के संबंध में जबाव के लिए संसद सदस्य श्री विजय कुमार द्वारा लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या †*40 के जबाव में दिया गया वक्तव्य**

(क) से (घ): जी हां, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलकृषि उत्पादक देश है और वैश्विक कुल मछली उत्पादन में इसका लगभग 6.3% हिस्सा है। सरकार ने मछली उत्पादन और उत्पादकता को धारणीय और दायित्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में मात्स्यिकी विभाग, मत्सयपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में धारणीय ढंग से मात्स्यिकी के विकास के लिए जो प्रमुख कार्यक्रम/पॉलिसियां अपनाई हैं वे इस प्रकार हैं:

(i) देश में मात्स्यिकी के विकास हेतु वर्ष 2015-16 से नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी एस एस) कुल 3000/- करोड़ रु. के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की गई है।

(ii) देश में मात्स्यिकी अवसंरचना के विकास हेतु रियायती वित्त प्रदान करने के लिए कुल 7522.48 करोड़ रु. की निधि के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना निधि नामक एक समर्पित निधि का सृजन किया है।

(iii) मात्स्यिकी और पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) सुविधा का विस्तार किया गया है।

(iv) वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में मात्स्यिकी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र की अवसंरचना, आधुनिकीकरण, अनुमार्गणीयता, उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में क्रांतिक अंतराल को संबोधित करने और एक संतुलित मात्स्यिकी प्रंबंधन की स्थापना करना है।

(v) समुद्री मात्स्यिकी के प्रबंधन और धारणीय विकास के लिए समुद्री मात्स्यिकी, 2017 पर राष्ट्रीय नीति का प्रवर्त्तन ।

(vi) देश में अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि के धारणीय विकास हेतु अनुकूल मौसम के सृजन हेतु भारतीय मत्स्यन और जलकृषि पॉलिसी 2019 का प्रतिपादन।

(vii) जून, 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नामक एक नए मंत्रालय का सृजन एवं फरवरी, 2019 में एक अलग विभाग का सृजन। जिससे कि मात्स्यिकी का धारणीय और दायित्वपूर्ण ढंग से वित्तीय समर्थन और पॉलिसी के माध्यम से इसमें वृद्धि एवं सैक्टर संबंधी उपलब्धियों को समेकित करके मात्स्यिकी क्षेत्र का निरंतर विकास किया जा सके और इस पर ध्यान लक्षित किया जा सके।

नीली क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 784.75 करोड़ रु. का बज़ट आवंटित किया गया है ।

(ङ): नीली क्रांति पर आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निम्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है (i) निवेश लागतों और तालाबों के निर्माण सहित ताजाजल और खाराजल जलकृषि का विकास, (ii) जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में पिंजरा/पैन आदि का स्थापना, (iii) पुनःसंचारी जलकृषि पद्धति (आरएएस), (iv) सजावटी मछली का विकास, (v) खुला समुद्री पिंजरा कल्चर, सी-वीड कल्चर, बाई-वाल्व कल्चर और पर्ल-कल्चर सहित सागरीय कृषि, (vi) प्रशिक्षण और कौशल विकास, (vii) पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण, (viii) गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु सहायता, (ix) शीत संयंत्र, शीतागार, अन्यों के बीच इन्सुलेटिड और रेफ्रीजिरेडिट ट्रक जैसी पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना सुविधाएं। एफआईडीएफ के अंतर्गत भारत सरकार नोडल ऋणदायी संस्थानों (एनएलई) द्वारा 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के तहत ऋण वितरण के समय मछुआरों और मछली किसानों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता उपलब्ध है और त्वरित पुनर्भुगतान के मामले में प्रोत्साहन के रूप में 3% प्रतिवर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता भी दी जाती है ।

*****